संख्या: 78/**2017/1938/33-3-2016-110/2012**

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक: **11** सितम्बर, **2017**

विषय: स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों के खुले में शौचमुक्त होने पर पुरस्कार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत प्रदेश को **02** अक्टूबर **2018** तक खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाना है। खुले में शौच मुक्त करने के कार्य में प्रत्येक स्तर पर योगदान देने वाले प्रधानों, अधिकारियों, कर्मचारियों, कन्सलटेन्ट एवं अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उ0प्र0 स्टेट सेनिटेशन मिशन की शीर्ष समिति द्वारा पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है, उक्त निर्णय के अनुरूप पुरस्कार की निम्नानुसार व्यवस्था की गयी है:-

ग्राम पंचायत स्तर-

जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड से पूर्णत: कम्युनिटी इन्सेटिव के माध्यम से सर्वप्रथम ओ0डी0एफ0 होने वाली ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को रू0-5000/-सीमा तक की पुरस्कार राशि जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त जनपद के कुल विकास खण्डों की संख्या के बराबर जनपद के अन्य सर्वप्रथम पूर्णत: कम्युनिटी इन्सेटिव के माध्यम से ओ0डी0एफ0 होने वाली पंचायतों के ग्राम प्रधानों को भी रू0-5000/- सीमा तक पुरस्कार राशि जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदन उपरान्त अनुमन्य होगी। उपरोक्तानुसार पुरस्कार प्राप्त करने हेतु वही ग्राम

http://shasnadeshup.nic.in

पंचायतें पात्र होंगी जिनमें ओ**0**डी**0**एफ**0** होने पर कम से कम रू**. 2.50** लाख की धनराशि कम्युनिटी इन्सेटिव के रूप में जनरेट होगी।

<u>जनपद स्तर-</u>

जनपद स्तर पर निम्नवत् तीन पुरस्कार होंगे:-

(i) जनपद स्तर पर कम से कम **25** ग्राम पंचायतें उपरोक्तानुसार कम्युनिटी इनसेंटिव के माध्यम से ओ**0**डी**0**एफ**0** होने पर प्रदेश के प्रथम दस जनपद को।

(ii) दो विकास खण्ड खुले में शौच मुक्त घोषित **(**ओ**0**डी**0**एफ**0)** करने वाले प्रदेश के प्रथम **20** जनपदों को।

(iii) वित्तीय वर्ष **2017-18** मे ओ**0**डी**0**एफ**0** घोषित होने वाले प्रदेश के समस्त जनपद।

उपरोक्तानुसार उपलब्धि हासिल करने वाले जनपद के जिलाधिकारी को रू**0-50,000/-,** मुख्य विकास अधिकारी को रू**0-30,000/-,** जिला पंचायत राज अधिकारी को रू**0-20,000/-** एवं रू**0 75,000/-** की सीमा तक जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदनोपरान्त ओ**0**डी**0**एफ**0** में सहयोग करने वाले व्यक्तियों**/**अधिकारियों**/**कर्मचारियों **/**कन्सलटेन्ट आदि को प्रत्येक पुरस्कार हेतु अनुमन्यता होगी। जिला स्वच्छता समिति प्रति पुरस्कार धनराशि निर्धारित करने तथा पुरस्कार हेतु व्यक्ति चयन करने हेतु स्वतंत्र होगी**,** जिसकी अधिकतम सीमा रू**0-10,000/-** प्रति पुरस्कार से अधिक नहीं होगी। जिला स्वच्छता समिति के अनुमोदनोपरान्त यह व्यवस्था लागू होगी। जनपद ऊपर वर्णित तीनों प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे।

<u>मण्डल स्तर-</u>

मण्डल स्तर पर तीन पुरस्कार होंगे।

(i) मण्डल स्तर पर कम्युनिटी इनसेंटिव के माध्यम से मण्डल के न्यूनतम दो जनपदों में कम से कम **25-25** ग्राम पंचायतें एवं मण्डल से कम से कम **75** ग्राम पंचायतें उपरोक्तानुसार कम्युनिटी इनसेंटिव के माध्यम से ओ**0**डी**0**एफ**0** होने पर प्रथम **05** मण्डल।

(ii) मण्डल के कम से कम **2** जनपदों के न्यूनतम **3-3** विकास खण्ड एवं मण्डल के कुल **7** विकास खण्ड ओ**0**डी**0**एफ**0** घोषित होने पर।

(iii) मण्डल के कम से कम **02** जनपदों के ओ**0**डी**0**एफ**0** घोषित होने पर।

उपरोक्तानुसार उपलब्धि हासिल करने वाले मण्डलायुक्त को रू**0-1,00,000/-** एवं मण्डलीय उप निदेशक**(**पं**0)** को रू**0-30,000/-** तथा मण्डल में रू**0-75,000/-**सीमा तक की राशि मण्डलायुक्त द्वारा नामित**/** चयनित**,**ओ**0**डी**0**एफ**0** में सहयोग करने वाले मण्डल**/**जनपद के व्यक्तियों**/** अधिकारियों**/**कर्मचारियों**/**कन्सलटेन्ट आदि को प्रत्येक पुरस्कार हेतु अनुमन्यता होगी। मण्डलायुक्त प्रति पुरस्कार धनराशि निर्धारित करने हेतु स्वतंत्र होंगे**,** जिसकी अधिकतम सीमा रू**0-10,000/-** प्रति

http://shasnadeshup.nic.in

पुरस्कार से अधिक नहीं होगी। मण्डल तीनों प्रकार के पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। किन्तु ओ**0**डी**0**एफ**0** में सहयोग करने वाले व्यक्तियों**/** अधिकारियों**/** कर्मचारियों **/**कन्सलटेन्ट आदि को जनपद एवं मण्डल दोनों स्तर से एक ही प्रकार के पुरस्कार के प्राप्त होने की स्थिति में पुरस्कार की धनराशि रू**0-10,000/-** से अधिक देय नहीं होगी।

समस्त पुरस्कार प्रदान करने हेतु चयनित ग्राम पंचायतों की गणना पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**,** भारत सरकार की वेबसाइट पर ओ**0**डी**0**एफ**0** डिक्लेरेशन एवं ओ**0**डी**0**एफ**0** वेरीफ़िकेशन में अन्तिम रूप से पात्र ग्राम पंचायतों की संख्या के आधार पर किया जायेगा। मण्डल स्तर के पुरस्कार हेतु अनुमोदन राज्य स्तर से कार्यकारी समिति द्वारा राज्य स्तर से वेरिफिकेशन के उपरान्त किया जाएगा।

ग्राम पंचायत स्तर पर पुरस्कार मद में व्यय होने वाली धनराशि जनपद स्तर पर उपलब्ध आई**0**ई**0**सी**0** मद की धनराशि से की जायेगी एवं जनपद व मण्डल स्तर पर व्यय होने वाली धनराशि राज्य स्तर पर उपलब्ध आई.ई.सी**.** मद की धनराशि से की जायेगी।

पुरस्कार हेतु एक से अधिक अधिकारियों के कार्यरत रहने की स्थिति में मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी के लिए उनके योगदान**/**कार्य अवधि के आधार पर स्टेट सैनीटेशन मिशन की कार्यकारी समिति द्वारा निर्णय के उपरान्त तथा शेष के लिए जनपद स्तर के पुरस्कार हेतु जिला स्वच्छता समिति के निर्णय के उपरान्त एवं मण्डल स्तरीय पुरस्कार हेतु मण्डलायुक्त द्वारा लिये गये निर्णय के उपरान्त चयनित अधिकारियों**/**कर्मचारियों **/**अन्य को पुरस्कार अनुमन्य होगा।

पुरस्कार की यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष **2017-18** के लिए अप्रैल माह से प्रभावी होगी।

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय**,**

(चंचल कुमार तिवारी**)**
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक:- तदैव।</u>

प्रतिलिपि**:** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित**:-**

1- निजी सचिव**,** माननीय मंत्री पंचायतीराज विभाग**,** उत्तर प्रदेश।

2- सचिव**,** पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय**,** भारत सरकार दिल्ली।

3- अपर सचिव**,** स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रामीण**)** पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली।

4- निदेशक**,** स्वच्छ भारत मिशन**(**ग्रामीण**)** पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली।

http://shasnadeshup.nic.in

5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, वित्त, स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, सूचना, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

8- अध्यक्ष, समस्त जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

9- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

10- निदेशक, पंचायती राज,उ0प्र0 लखनऊ।

11- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।

12- महानिदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।

13- समस्त सदस्य, शीर्ष समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन उत्तर प्रदेश।

14- समस्त सदस्य, कार्यकारी समिति स्टेट सैनीटेशन मिशन उत्तर प्रदेश।

15- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

16- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।

17- समस्त सदस्य, जिला स्वच्छता समिति, उत्तर प्रदेश।

18- प्रमुख, समस्त क्षेत्र पंचायतें, उत्तर प्रदेश।

19- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश।

20- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4/राज्य योजना आयोग-1/2

21- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र बहादुर सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in